प्रेस विज्ञप्ति

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर, के द्वारा विकास अध्ययन संस्थान (IDS), झालाना डूंगरी, जयपुर में "राज्य चतुर्थ वित्त आयोग के संदर्भ में पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ एकदिवसीय कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को पंचायत जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं चिंताओं से परिचित करवाना था। कार्यशाला की अध्यक्षता चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री बी. डी. कल्ला ने की। कार्यशाला में वित्त आयोग की भूमिका, कार्यक्षेत्र एवं महत्त्व पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधियों प्रधान, सरपंचों एवं वार्ड पंचों के साथ परिचर्चा की। अपने अध्यक्षीय भाषण में, श्री कल्ला ने राज्य में पंचायतों को उनकी निजी आय बढ़ाने हेतु प्रयास करने पर जोर दिया। इसके लिए पंचायत की गोचर व चरागाह भूमि पर पेड़ पौधे लगाकर उनसे आय प्राप्त करना, क्वार्टर एवं दूकानें बनवाकर उन्हें किराए पर देना आदि उपाय हो सकते हैं। नरेगा के कार्यों में स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध माल से कच्ची सामग्री जैसे कली, चूना आदि से पक्के कार्य करवाये जाने का सुझाव भी उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट पेश की जा चुकी है जिसको आगामी कुछ दिनों में विधानसभा में पेश किया जाएगा। श्री कल्ला ने पंचायत प्रतिनिधीयों को आश्वासन दिया कि इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायती संस्थाओं को मिलने वाली राशि में वृद्धि होगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इस कार्यशाला में पंचायतीराज प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों को आयोग के अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही राज्य के गैर आयोजना व्यय में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री कल्ला ने बताया कि इससे राज्य के गैर विकासात्मक व्यय में वृद्वि हो रही है, जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

परिचर्चा के दौरान पंचायत प्रतिनिधीयों ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को मिलने वाली राशि को बहुत कम बताते हुए सुझाव दिया कि इसमें वृद्वि की जानी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए पेसा एक्ट को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हे गांव की गोचर भूमि में अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता। प्रतिनिधीयों ने शराब ठेकों से कर वसूली के अधिकार दिए जाने, पंचायतों के कर वसूली संबंधी प्रावधनों में स्पष्टता लाने, आयोजना का पैसा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दिए जाने एवं भूमि उपयोग परिवर्तन के अधिकार दिये जाने जैसे मांग एवं सुझाव रखे।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में राज्य के जिला प्रमुखों के अपने विचार व्यक्त किए। जिला प्रमुखों ने बताया कि चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली राशि में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए।

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302005
Tel./Fax : (0141) 2385254
E-mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org

उन्होंने सुझाव दिया कि जिलों में बड़े स्तर पर खनन किए जाने वाले मुख्य खनिजों पर प्राप्त रायल्टी जिला परिषदों को दी जानी चाहिए, जबकि गौण खनिजों की रायल्टी पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा जिला परिषदों को हाइवे से प्राप्त टोल टैक्स से 1 प्रतिशत हिस्सा, रोड टैक्स में हिस्सा दिये जाने, जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरुप योजना निमार्ण की छूट एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किए जाने के सुझाव जिला प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गये। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में राज्य वित्त आयोग से पंचायत प्रतिनिधीयों के क्षमतावर्धन तथा पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय करने से संबंधित सुझाव दिए जाने की अपेक्षा भी व्यक्त की गई। सत्र के अंत में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र जयपुर के समन्वयक नेसार अहमद ने आगन्तुकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला का समापन किया।

नेसार अहमद
कॉर्डीनेटर, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
19.08.2011

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302005
Tel./Fax : (0141) 2385254
E-mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org